समाचार-प्रकाषनार्थ:-

धोलावाड़ मुख्य पाईप लाईन से पानी चोरी करने पर रामचन्द्र-धन्नाजी पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज

रतलाम 20 अप्रैल । धोलावाड़ व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा निप्पल लगाकर सांयकाल से रात्री तक पानी चोरी कर खेतों में सिंचाई करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार दीनदयाल नगर थाने में संबंधीत की पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा पूर्व मंे भी धोलावाड़ व मोरवानी के मध्य 600 एमएम डाया की मुख्य पेयजल पाईप लाईन में रामचन्द्र पिता धन्नाजी निवासी धबाईपाड़ा द्वारा निप्पल लगाकर पानी की चोरी किये जाने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा 27 दिसम्बर को पत्र प्रेशित किया गया था। वर्तमान में सबंधित द्वारा दो-तीन दिन पूर्व पुनः पानी की चोरी किये जाने पर निगम कर्मचारियों द्वारा समझाईष दी जाकर छेद बंद कर दिया गया था किन्तु पुनः 19 अप्रैल को पानी की चोरी किये जाने पर आज दीनदयाल नगर थाने में पत्र प्रेशित किया जाकर संबंधित के विरूद्ध धारा 353, 427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

ग्रीन रतलाम - क्लीन रतलाम गीत-गायन प्रतियोगिता 22 अप्रेल को

22 अप्रेल दोपहर तक प्रतियोगी करा सकते है पंजीयन

रतलाम 20 अप्रैल । आगामी 22 अप्रेल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रतलाम को स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आगामी 22

अप्रेल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रीन रतलाम - क्लीन रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन पावर हाउस रोड़ स्थित लायन्स हाल में 22 अप्रेल शुक्रवार को शाम 5 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा।

प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही शील्ड व प्रमाणपत्र भेंट किए जाएगे।

गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी 22 अप्रेल दोपहर 3 बजे तक व्हाटशाँप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

काटजू नगर में षासकीय भूमि से हटाये 14 अवैध अस्थायी अतिक्रमण

रतलाम 20 अप्रैल । काटजू नगर स्थित जैन मंदिर के पीछे षासकीय भूमि पर किये गये 14 अस्थायी अतिक्रमण व कबाड़े को जिला प्रषासन व नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा हटाया गया साथ ही लक्कड़पीठा में मदिरा दुकान संचालक द्वारा रोड पर किये षेड व अवैध निर्माण को भी हटाया गया।

अवैध अस्थाई निर्माण को सीएसपी श्री हेमन्त चौहान, एसडीएम श्री राकेष षुक्ला, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, ब्रजेष कुषवाह व राजेष पाटीदार की उपस्थिति में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाया गया।

20 अप्रैल बुधवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 239 ट्रीप

107 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

75 किलो सेनेटरी वेस्ट निपटान/भस्म हेतु भेजा गया

रतलाम 20 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 20 अप्रैल बुधवार को 107 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

20 अपे्रल बुधवार को डम्पर से 27590 किलो, टेª क्टर से 7605 किलो, मैजिक सूखा कचरा 49540 किलो, मैजिक गीला कचरा 22500 किलो, सेनेटरी कचरा 2.5 किलो इस तरह कुल 107237.5 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

कचरा संग्रहण के माध्यम से एकत्रित किये गये 75 किलो सेनेटरी वेस्ट के निपटान/भस्म हेतु रतलाम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ग्राम बंजली में भेजा गया।

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 20 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 20 अप्रैल को प्रातः 14 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण

बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

20 अप्रैल बुधवार को झोन क्रमांक 1 में विजय-फुलचन्द, अजय-विनोद, बादल-दिलीप, सुनील-षंकरलाल, विषाल-मुकेष, प्रकाष-कैलाष, विजय-हीरालाल, झोन क्रमांक 2 में रमेष-मुंषी, सुनील-ष्यामलाल, संगीताबाई-हरीष, सोमदीप-सुदेष, रवि-सुरेष, षिवकन्याबाई-रमेष, झोन क्रमांक 3 में मुकेष-गोवर्धन, दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में मोहित-गोपाल इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

कचरा गंदगी करने पर 6 दुकानें सील

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 17 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 20 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 20 अप्रैल बुधवार को 17 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर दो बत्ती क्षेत्र में 3 दुकानों के अलावा रईस खान यूनिक स्टाईल, आमिर षेख एकेएस फैषन षहर सराय व आर.बी. कलेक्षन की दुकाने सील कर 5000-5000 का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार दूरदर्षन इलेक्ट्रॉनिक पर 2000, अरविन्द ज्यूस सेंटर, बुरहानी टे्डर्स पर 1000-1000, फातिमा बाई, पुनीत भण्डारी, अरिहंत टे्डर्स, खालसा आटो पार्ट्स, इदरिष पर 500-500, साबिर भाई पर 250, राज रतन, मनोज जोषी पर 200-200, षाहनवाज खान, चांद मोहम्मद पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देषन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 20 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 20 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 20 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 20 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि

वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम द्दढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के

ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/20.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.